न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—115 सन् 2021

बलिराम सिंह उर्फ बलिराम दास..........................वादी।

बनाम

अशर्फी सिंह वगैरह..................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 21.09.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 20.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 02 किशोरी सिंह की मृत्यु दिनांक 30.07.2022 को अ पने पैतृक गांव में अपने कानूनी वारिसान अपनी पत्नी राजा देवी एवं पुत्र अमरजीत सिंह, धुरेन्द्र सिंह वो सुचिन्द्र सिंह एवं एक पुत्री माधुरी देवी को छोड़कर हो गई है। मृतक के उपरोक्त वारिसान को इस वाद में फरीक बनाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 किशोरी सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।वादी की ओर से धारा—5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 किशोरी सिंह की मृत्यु दिनांक 30.07.2022 को अपने पैतृक गांव में अपने कानूनी वारिसान अपनी पत्नी राजा देवी एवं पुत्र अमरजीत सिंह, धुरेन्द्र सिंह वो सुचिन्द्र सिंह एवं एक पुत्री माधुरी देवी को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 20.02.2023 को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।